रजिस्टर्ड नं० एल०-33-एस० एम० 13-14/98.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 2 फरवरी, 1998/13 माघ, 1919

हिमाचल प्रदेश सरकार

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

शिमला-171 002, 14 जनवरी, 1998

संख्या एल० एस० जी०-ए० (3) 8/94.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का 13) की धारा 279 के साथ पठित धाराएं 12, 22, 25 और 304 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से इस विभाग की सम संख्यांक अधिसूचना तारिख 21-4-1995 द्वारा तारीख 22-4-1995 के राजपत्र (असाधारण) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के आरक्षण और निर्वाचन) नियम, 1995 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाना प्रस्तावित करते हैं और उक्त अधिनियम की धारा 279 (5) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इन्हें सर्वसाधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित किये जाते हैं और एतद्द्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि तथाकथित संशोधन नियमों का प्रारूप पर, राज्य सरकार द्वारा इनके राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन के 30 दिनों के पश्चात् विचार किया जाएगा।

यदि इन नियमों से सम्भाव्य प्रभावित होने वाला कोई व्यक्ति, इन नियमों के सम्बन्ध में कोई आक्षेप करना या सुझाव देना चाहे, तो वह उनको लिखित रूप में वित्तायुक्त एवं सचिव (शहरी विकास), हिमाचल प्रदेश को उपर्युक्त नियत अवधि के भीतर भेज सकेगा ।

राज्य सरकार उपर्युक्त नियत अवधि के भीतर प्राप्त आक्षेपों या सुझावों पर, यदि कोई हो, द्वारा उक्त नियमों को अन्तिम रूप देने से पूर्व विचार करेगी, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम.—इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए आरक्षण और निर्वाचन) (संशोधन) नियम, 1998 है ।

2. नियम 8-क और 8-ख का अन्तःस्थापन.—हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद के लिए आरक्षण और निर्वाचन) नियम, 1995 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "उक्त नियम" कहा गया है) के नियम 8 के पश्चात् निम्नलिखित नियम 8-क और 8-ख अन्तःस्थापित किये जाएंगे ; अर्थात् :—

"8-क अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव .—(1) नगरपालिका के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव इसके कुल निर्वाचित सदस्यों के बहुमत से अन्युन द्वारा हस्ताक्षरित, उपायुक्त को सम्बोधित लिखित अभ्यपेक्षा द्वारा लाया जाएगा :

परन्तु सदस्य, जिन्होंने ऐसा प्रस्ताव लाया है उसे इस प्रयोजन हेतु बैठक संयोजित किये जाने से पूर्व वापिस ले सकेंगे ।

(2) उपायुक्त या उपायुक्त द्वारा प्राधिकृत ऐसा अन्य अधिकारी जो उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक) की पंक्ति से नीचे का न हो, अभ्यपेक्षा की एक प्रति प्रत्येक सदस्य को उसके प्रयोग हेतु परिचालित करेगा ।

(3) उपायुक्त या उपायुक्त द्वारा प्राधिकृत ऐसा अन्य अधिकारी जो उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक) की पंक्ति से नीचे का न हो, नोटिस द्वारा जिसकी अवधि 15 दिन से कम न होगी, उक्त उप-नियम (1) में निर्दिष्ट प्रस्ताव पर विचार करने के लिए एक विशेष बैठक बुलायेगा और ऐसी बैठक की अध्यक्षता करेगा ।

यदि ऐसी विशेष बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले निर्वाचित सदस्यों के बहुमत द्वारा जिसकी गणपूर्ति इसके निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या के आधे से अन्युन है, के समर्थन द्वारा अविश्वास के प्रस्ताव को पारित किया जाता है तो यह समझा जाएगा कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष ने यथास्थिति अपना पद रिक्त कर दिया है ।

8-ख नया निर्वाचन :—यदि अविश्वास प्रस्ताव के कारण अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद उसकी अवधि के दौरान रिक्त हो जाता है, तो शेष अवधि के लिए नया निर्वाचन, यथा स्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए इन नियमों में विहित रिति के अनुसार रीक्ति हो जाने की तारीख से, एक मास की अवधि के भीतर करवाया जाएगा ।"

आदेश द्वारा,

रवि ठाकुर,
वित्तायुक्त एवं सचिव ।

[*Authoritative English text of Government Notification No. LSG-A* (3) 8/94 *dated* 14-1-1998 *as required under clause* (3) *of Article* 348 *of the Constitution of India*].

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 14th January, 1998

No. LSG-A (3) 8/94.—In exercise of the powers conferred by sections 12, 22, 25 and 304 read with section 279 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No. 13 of 1994) the Governor, Himachal Pradesh in consultation with the State Election Commission, propose to make the following rules to amend the H. P. Municipal (Reservation and Election to the office of President and Vice President) Rules, 1995 published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra ordinary) dated 22-4-1995 and notified *vide* this Department notification of even number dated 22-4-1995 and the same are hereby published in the Rajpatra for information of the general public as required under section 279 (5) of the said Act and notice is hereby given that the said draft amendment rules shall be taken into consideration by the State Government after 30 days of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

If any person likely to be affected by these rules has any objection or suggestion to make with regard to the rules, he may send the same in writing to the F. C.-*cum*-Secretary (UD) to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-2 within the above stipulated period.

Objections or suggestions, if any, received within the above stipulated period shall be taken into consideration by the State Government before the finalisation of the said rules, namely :—

1. *Short title.*—These Rules may be called the Himachal Pradesh Municipal (Reservation and election to the office of President and Vice President) (Amendment) Rules, 1998.

2. *Insertion of rules 8-A and 8-B.*—After rule 8 of the Himachal Pradesh Municipal (Reservation and Election to the office of President and Vice President) Rules, 1995 (hereinfter called the said rules) the following 8-A and 8-B shall be inserted namely ;—

"8-*A No. confidence motion against the President and Vice-President* .—(1) A motion of no-confidence against the President or Vice-President of a municipality may be made through a requisition given in writing addressed to the Deputy Commissioner signed by not less than majority of its total elected members :

Provided that the members who have made such a motion may withdraw the same before the meeting is convened for the purpose.

(2) The Deputy Commissioner or such other officer not below the rank of Sub-Divisional Officer (Civil) authorised by the Deputy Commissioner, shall circulate to each member a copy of the requisition for the use of the members.

(3) The Deputy Commissioner or such other officer not below the rank of Sub-Divisional Officer (Civil) authorised by the Deputy Commissioner shall convene a special meeting by giving a notice of not less than fifteen days for the consideration of the motion referred to in sub-rule (1) and shall preside over at such meeting.

(4) If the no-confidence motion is carried out with the support of majority of elected members present and voting at such special meeting, the quorum of which is not less than

one-half of its total elected members, the President or Vice-President, as the case may be, shall be deemed to have vacated his office.

8. *B Fresh Election* :—If the office of the President or Vice-President is vacated during his tenure on account of no-confidence motion, a fresh election for the remainder of the period shall be held in the manner prescribed in these rules for the election of President or the Vice-President, as the case may be, within a period of one month from the date of vacancy."

By order,

RAVI DHINGRA,
F.C.-cum-*Secretary.*

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।